

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE
U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

ID No. 120900106 Sector/Block JAWAHARPURAM
Plot/House No. 481,490,492,493,495to Scheme NON SCHEME
499, 514, 515 & 516
Permit Date 13/09/2007 / 27.06.2009 Application Date 12/09/2006
Permit No. 225/23/L/2006-07
Area(Place) JAWAHARPURAM
Land Usage RESIDENTIAL
Applicant's ELDECO TOWNSHIPS & HOUSING LTD.
Present Address 15/54-B CIVIL LINES KANPUR

Sanction vide order dated 11/12/2006 of VICE CHAIRMAN permission to build granted
as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written
overleaf.

release +
Validity Period :- Valid for Five Years from the date of ~~Sanction~~ for Fresh map/
One Year In case of renewal.


Palch
27/09/09
Authorised Signatory
पी० के० सीलकी
प्रभारी मुख्य नगर नियोजक
कानपुर विकास प्राधिकरण

Copy To :- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तें:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकारी पर भी किसी भी भौतिक अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड, बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरित यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जायें।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार करनी होगी।
7. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
8. पक्ष को उपविधि के अनुसार वृक्ष लगाने होंगे एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
9. मानचित्र में दर्शित अशमनीय निर्माण निर्धारित तिथि तक पक्ष द्वारा स्वयं ध्वस्त नहीं किया जाता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का 17 प्रतिशत हर्जाना शुल्क वसूल किया जा सकता है तथा निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राधिकरण, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा।
10. उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
11. निर्माण के समय स्वीकृति सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित करते हुए स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा।


Authorised Signatory
पी० के० सोलंकी
प्रभारी मुख्य नगर नियोजक
कानपुर विकास प्राधिकरण